दैनिक न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

क्षितिज अपार संभावनाएं : 10 वीं एवं 12 वीं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांगजनों की सूची जारी

31 तक मंगाए गए दावा आपत्ति

रायगढ़। क्षितिज अपार संभावनाएं योजनान्तर्गत जिले के माध्यमिक/ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग छात्र तथा छात्राओं को क्रमश: 2 हजार एवं 5 हजार रुपये एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदाए किए जाने का प्रावधान है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्राप्त कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं की प्रावीण्य सूची में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांगजनों की सूची जारी की गई है। जिसमें माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 वीं में उ.मा.वि.महलोई, विकासखण्ड तमनार से कु.अमिषा नायक 90.33 प्रतिशत एवं 77.15 प्रतिशत अंक के साथ रोहन चौहान शामिल है। इसी तरह उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 12 वीं में शा.उ.मा.वि.खडग़ांव विकाखण्ड धरमजयगढ़ से कु.रिंकी राठिया 69.2 प्रतिशत एवं शा.उ.मा.वि.सराईपाली विकाखण्ड तमनार से 62.4 प्रतिशत अंक के साथ रितेश गुप्ता शामिल है। इस संबंध में यदि किसी दिव्यांग छात्र-छात्रा को आपत्ति हो तो वे समुचित प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय उप संचालक समाज कल्याण रायगढ़ में 31 अक्टूबर 2024 तक कार्यालयीन समय में दावा-आपत्ति आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

युवाओं के लिए खुशखबरी, सीजीपीएससी ने निकाली वैकेंसी, एसआई समेत कई पदों पर होगी भर्ती,

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. सीजीपीएससी ने सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडेंट और सूबेदार भर्ती का नोटिफकेशन जारी कर दिया है. इन पदों लिए 23 अक्टूबर से 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं. भर्ती के संबंध में सीजीपीएससी की वेबसाइट पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ट्वीट कर युवाओं से कहा है कि अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाओ. जारी अधिसूचना के अनुसार एसआई के 278 पदों के अलावा 19 सूबेदार, 11 उप निरीक्षक (विशेष शाखा), 14 प्लाटून कमांडर, 4 उप निरीक्षक (अंगुल-चिन्ह), 1 उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज) , 5 उप निरीक्षक (कंप्यूटर) और 9 उप निरीक्षक (साइबर क्राइम) के पद शामिल हैं. इन आवेदन पत्रों की जांच के बाद पीएससी की ओर से लिखित परीक्षा ली जाएी. परीक्षा के लिए उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिए जाएंगे, जो भर्ती के लिए जरूरी अर्हताओं को पूरा करेंगे.

एसीबी में पदस्थ कई कर्मियों का हुआ तबादला

रायपुर (आरएनएस)। रायपुर क्राइम ब्रांच (अब एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट) में वर्षों से जमे एएसआई,कांस्टेबल और हेडकांस्टेबल समेत 24 कर्मचारियों का तबादला रायपुर रेंज के आइजी अमरेश मिश्रा ने किया है। जारी आदेश में प्रशासनिक आधार पर रेंज स्थापना बोर्ड के निर्णय पर ये तबादला किया गया है। आदेश में क्राइम यूनिट में वर्षों से पदस्थ एएसआई किशोर सेठ, मोहम्मद जमील और मोहम्मद कय्यूम को बलौदाबाजार, संतोष सिंह को धमतरी, मो.इरफान को गरियाबंद भेजा गया है। वहीं हेड कांस्टेबल सरफराज चिश्ती को महासमुंद, अभिषेक सिंह को धमतरी, मोहम्मद सुल्तान को गरियाबंद, कांस्टेबल रवि तिवारी, राहुल शर्मा और मो.राजिक को बलौदाबाजार, आलम मिर्जा को गरियाबंद, सरीम खान, कुलदीप मिंज को धमतरी, अमित यादव को बलौदाबाजार, मुकेश सिंह राजपूत को महासमुंद, कृष्णा ठाकुर को बलौदाबाजार तबादला किया गया है जबकि धमतरी में पदस्थ हेड कांस्टेबल दिनेश तुरकाने, देवेंद्र राजपूत, महिला हेड कांस्टेबल माधुरी सोनवानी को रायपुर, कांस्टेबल कुलदीप सिंह, अंकुश नंदा, खेमू हिरवानी को रायपुर और साजिद अली को बलौदाबाजार भेजा गया है।

आरक्षक बना देवदूत, बचाई महिला की जान

बिलासपुर-रायपुर (आरएनएस)। अपनी सूझबूझ से एक महिला की जान बचाने वाले डॉयल 112 के आरक्षक धर्मेंद्र बघेल को एसपी रजनेश सिंह ने पुरस्कृत किया है। सूत्रों ने बताया कि चकरभाठा रेलवे स्टेशन पर एक महिला ने ट्रेन से उतरते ही ज़हर का सेवन कर लिया था और सटेशन में ही अचेत होकर गिर पड़ी थी। उसकी गोद में तीन महीने का मासूम बच्चा था। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने तुरंत डायल 112 को सूचना दी। टास्क मिलने पर चकरभाठा-112 की टीम के आरक्षक धर्मेश बघेल और चालक दुर्गेश साहू महज आठ मिनट के भीतर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। महिला पारिवारिक विवाद के कारण जहर खा चुकी थी और बेहोशी की हालत में थी। आरक्षक धर्मेश ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत बच्चे को अपनी गोद में उठाया और लोगों की मदद से महिला को 112 वाहन से बिलासपुर के अस्पताल पहुँचाया, जहां उसकी जान बचा ली गई।

अपार आईडी बनाने में रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ में दूसरे स्थान पर

- देश के प्रत्येक विद्यार्थी की बनेगी यूनिक आईडी
- अपार आईडी से छात्रों की शैक्षणिक प्रगति सहित अन्य उपलब्धियां रहेगी सुरक्षित
- भविष्य में उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए क्रेडिट स्कोर के रूप में उपयोगी होगी अपार आईडी

रायगढ़

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्पना के अनुरूप देश के प्रत्येक विद्यार्थी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उन्हें यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। इसके लिए ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी (अपार आईडी) योजना का पूरे देश में लागू किए जाने की पहल शुरू कर दी गई है। यह योजना तीन चरणों में लागू होगी। प्रथम चरण में कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को अपार आईडी के रूप में यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। दूसरे चरण में कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तथा अगले चरण में पहली से लेकर पांचवीं तक विद्यार्थियों की यूनिक आईडी बनाई जाएगी।

इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत विद्यार्थियों के समग्र विकास और शैक्षिक प्रगति को ट्रैक करने के साथ ही एक राष्ट्र एक छात्र आईडी की परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करना है। अपार आईडी को डिजिलॉकर से जोड़ा जाएगा, जिसमें छात्रों की शैक्षिक प्रगति, परीक्षा परिणाम, रिपोर्ट कार्ड और अन्य उपलब्धियों का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध होगा। यह आईडी भविष्य में उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए क्रेडिट स्कोर के रूप में उपयोगी होगी। भारत शासन के शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि पालक-शिक्षक बैठक में अभिभावकों से छात्रों की अपार आईडी बनाने के लिए सहमति ले। सहमति पत्र के आधार पर स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्राचार्य यूडाईस प्लस पोर्टल पर जानकारी प्रविष्ट करने से आईडी स्वत: तैयार हो जाएगी।

अपार आईडी बनाने में रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ में दूसरे स्थान पर

जिला शिक्षा अधिकारी डॉ.राव ने जानकारी देते हुए बताया कि अपार आईडी बनाने में रायगढ़ जिला लक्ष्य के विरूद्ध वेरिफिकेशन के आधार पर 70 प्रतिशत एवं दर्ज संख्या के आधार पर अब तक 39 प्रतिशत है। जिसके तहत अपार आईडी बनाने में रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ में दूसरे स्थान पर है। प्रथम चरण में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए बनाए जा रहे है। जिसमें 325 हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के कुल 54110 विद्यार्थियों में से 29881 छात्रों का वेरिफिकेशन हो गया है, जिसमें 21007 विद्यार्थियों का अपार आईडी जनरेट हो गया है।

क्या है छात्रों के लिए अपार आईडी

अपार यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री भारत के सभी छात्रों के लिए एक विशेष पहचान प्रणाली है। यह वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्यक्रम का हिस्सा है। अपार आईडी कार्ड छात्रों के लिए एक डिजिटल आईडी कार्ड है। यह कार्ड छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों, डिग्री और अन्य जानकारी को ऑनलाइन एकत्र करने में मदद करता है। भारत भर के निजी और सरकारी स्कूलों या कॉलेजों में पढऩे वाले छात्रों के लिए एक डिजिटल आईडी कार्ड है।

अपार आईडी कार्ड के बारे में जरूरी बातें

यह एक आजीवन आईडी नंबर होता है। यह कार्ड छात्रों के लिए स्कूल या कॉलेज जारी करता है। इस कार्ड को बनवाने के लिए कोई फीस नहीं देनी होती। यह कार्ड छात्रों की पहले से मौजूद आधार आईडी के अलावा एक यूनिक आईडी है। यह कार्ड छात्रों की शैक्षणिक यात्रा और उपलब्धियों को ट्रैक करता है। यह कार्ड एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण को आसान बनाता है। इस कार्ड के माध्यम से छात्रों को स्कॉलरशिप, एजुकेशन लोन, सरकारी योजनाओं का लाभ, अवॉर्ड आदि लेने में मदद करता है।

हेल्प लाइन नम्बर जारी

अपार आईडी में किसी भी प्रकार की असुविधा के लिये शिक्षा विभाग द्वारा हेल्प लाईन नंबर जारी किया गया है। जिसमें जिला नोडल अधिकारी भुवनेश्वर पटेल एपीसी मोबा.न. 7000081311, प्रोग्रामर अखिलेश यादव मोबा.न.9329450078, 7987332911 एवं नारायण पटेल मोबा.न. 9165176735, 9098465443 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

चावल जमा नहीं करने पर मेसर्स कंसल उद्योग के 6.50 करोड़ से अधिक की बैंक गारंटी हुई राजसात

- धान खरीदी में गंभीर अनियमितता का मामला
- कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर हुई कार्यवाही

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन पर मेसर्स कंसल उद्योग ग्राम-सांगीतराई की जांच की गई। जांच में पाया गया कि संबंधित राईस मिल द्वारा धान का उठाव तो किया गया था लेकिन उठाव के विरूद्ध कम चावल जमा किया गया। इस मामले में राईस मिल को दो बार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, लेकिन मेसर्स कंसल उद्योग के संचालक द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। इससे शासन को 6.50 करोड़ रूपये से अधिक की आर्थिक क्षति हुई है। कलेक्टर गोयल ने आर्थिक क्षति को देखते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में मेसर्स कंसल उद्योग द्वारा कस्टम मिलिंग हेतु किये गये अनुबंध में जमा किये गये बैंक गारंटी में से 6.50 करोड़ रूपये से अधिक की वसूली योग्य राशि को राजसात करने हेतु जिला विपणन अधिकारी रायगढ़ को आदेशित किया है। खाद्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में पंजीकृत राईस मिल मेसर्स कंसल उद्योग, ग्राम सांगीतराई रायगढ़ पंजीयन क्रमांक एमए 418848 भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा में रूचि नहीं लिए जाने के कारण राईस मिल का भौतिक सत्यापन दिनांक 25 अगस्त 2024 को कराया गया जिसमें अनुबंध क्रमांक एसी 012024410257 में 27948.40 क्विंटल धान का उठाव किया गया है, जिसका जमा किये जाने योग्य 18912.68 क्विंटल चावल के विरूद्ध 4049.104 क्विंटल चावल जमा किया गया है। इस प्रकार अरवा एफ.सी.आई.अनुबंध में 14863.58 क्विंटल चावल जमा होना शेष पाया गया जिसका अनुपातिक धान 22184.00 क्विंटल उपलब्ध होना चाहिए था, किन्तु भौतिक सत्यापन में 1200.00 क्विंटल धान पाया गया। इस प्रकार भौतिक सत्यापन में 20984.00 क्विंटल धान कम पाया गया तथा जमा हेतु शेष चावल की मात्रा भी नहीं होना पाया गया।

शासन द्वारा धान खरीदी में भुगतान किए गए 3100 रूपये प्रति क्विंटल धान की राशि के आधार पर उक्त राईस मिल में कम पाए गए धान की कुल राशि 6 करोड़ 50 लाख 50 हजार 400 रूपये लेना है। प्रकरण में अनावेदक को 3 सितम्बर 2024 एवं 14 अक्टूबर 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने हेतु युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया। परंतु मेसर्स कंसल उद्योग के संचालक द्वारा कोई जवाब प्रेषित नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय जूनियर रेडक्रॉस प्रशिक्षण सह सद्भावना शिविर में अंताक्षरी में रायगढ़ जिले ने किया टॉप

रायगढ़

राज्य स्तरीय जूनियर रेडक्रॉस जंबूरी 2024 का आयोजन भारतीय विश्वविद्यालय पुलगांव, दुर्ग में 18 से 22 अक्टूबर 2024 तक आवासीय प्रशिक्षण एवं सद्भावना शिविर आयोजित हुआ। जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 33 जिलों के जूनियर रेडक्रॉस के विद्यार्थियों ने भाग लिया। पांच दिवसीय आवासीय शिविर में विभिन्न गतिविधियां रंगोली, क्विज (प्रश्नोत्तरी), लोकनृत्य, झांकी प्रदर्शनी, लोकगीत, हस्तकला, पेटिंग, मार्चपास्ट, गणवेश, फस्र्ट एड प्रदर्शन, हस्तकला, पेटिंग, फिजिकल डिस्प्ले, अंताक्षरी प्रतियोगिता, फूड जंक्शन (व्यजनों की प्रदर्शनी) आयोजित हुई। जिसमें रायगढ़ की टीम ने सभी में भाग लेते हुए अंताक्षरी प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर रायगढ़ जिले का मान बढ़ाया है।

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के दिये गये निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी डॉ.राव, डीएमसी नरेंद्र चौधरी, एपीसी भुवनेश्वर पटेल, आलोक स्वर्णकार के मार्गदर्शन में रायगढ़ जिले से बालक पुसौर, रेंगालपाली, कोंडपाली, गोर्रा, छिछोरउमरिया के 18 बालक और 08 बालिकाएं एक पुरुष काउंसलर कुलमणि महानदिया एक महिला काउंसलर डॉ कुमुदिनी भोई, सहयोगी शिक्षक सुमित शर्मा दल प्रभारी व्याख्याता बीर सिंह के नेतृत्व में रायगढ़ टीम दुर्ग के लिये रवाना हुई थी।

प्रशिक्षण में रेडक्रॉस का इतिहास, जूनियर रेडक्रॉस का उदय, रेडक्रॉस एवं जूनियर रेडक्रॉस का मौलिक सिद्धांत, जिनेवा कन्वेन्शन एक्ट, रेडक्रॉस प्रतीक चिन्ह एवं रेडक्रॉस को नोबल प्राईज पर व्याख्यान, जूनियर्स एवं काउंसलर्स के कार्य व दायित्व, फस्र्ट एड प्रशिक्षण, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण विभिन्न विषयों पर कार्यशाला का प्रशिक्षण दिया गया जिसमें सभी विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण का लाभ उठाते हुए रेडक्रॉस के सिद्धांतों को समझा और रेडक्रॉस का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा मित्रता का अपने जीवन में आत्मसात किया। विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को दुर्ग जिला के विभिन्न स्थान जिनमें जैन मंदिर, आईआईटी भिलाई, मैत्री बाग (चिडिय़ा घर)भिलाई एवं पुलिस मुख्यालय भिलाई का भ्रमण कराया गया। जिससे विद्यार्थियों के मन में तार्किक सोच विकसित होती है। जिला स्तर के सभी अधिकारियों ने सभी छात्रों, मार्गदर्शक शिक्षकों को रेडक्रॉस जम्बूरी में रायगढ़ का प्रतिनिधित्व कर अंताक्षरी में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।

रिवर्ट आवेदनों पर जिम्मेदारी तय कर करें कार्यवाही-कलेक्टर कार्तिकेया गोयल

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जिला स्तरीय पर्यवेक्षक समिति की बैठक आयोजित

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जिला स्तरीय पर्यवेक्षक समिति की बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर गोयल ने अधिसूचित फसल, नवीन संशोधन प्रस्ताव, रिवर्ट आवेदन, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ऑफ्ट आउट, विफल दावा भुगतान गोश्वरा एवं सूची तथा भुगतान की ऑनलाइन स्थिति, वन पट्टाधारी कृषक, प्री कास्ट सीमेंट बेंच, अनुसूचित ग्राम की सूची बीमा का ग्राम जैसे विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा की। बैठक में अपर कलेक्टर राजीव कुमार पाण्डेय उपस्थित रहे।

कलेक्टर गोयल ने अधिसूचित ग्राम एवं नए प्रस्तावित बीमा इकाइयों की समीक्षा की। उप संचालक कृषि ने बताया कि इस वर्ष 8 प्रस्तावित किए गए। जिसमें तेलीकोट, बोतल्दा, मुरा, जैमूरा, गिण्डोला, कछार, गेजामुड़ा, नवागांव शामिल है।

इस दौरान कलेक्टर गोयल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा की जानकारी लेने पर उप संचालक कृषि ने बताया कि रबी में मुख्यत: ग्राम स्तर पर चना, गेहूं के साथ ही राजस्व निरीक्षक मण्डल स्तर पर राई सरसों एवं अलसी को अधिसूचित किया गया। योजनान्तर्गत रिवर्ट आवेदनों की संख्या एवं अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर गोयल ने रिवर्ट आवेदनों के अपलोड में हुए लेट लतीफी पर नाराजगी जताई। उन्होंने आवेदनों को अतिशीघ्र अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने अपूर्ण दस्तावेजों के कारण रिवर्ट हुए आवेदनों पर जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर बेहतर रूप से कार्य करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर गोयल द्वारा ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के संबंध में जानकारी लेने पर उप संचालक कृषि ने बताया कि खरीफ 2024 में कुल प्राप्त पॉलिसी में से मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के तहत 20 हजार 919 पॉलिसी का वितरण किया जा चुका है। विभाग द्वारा बीमा कराने में असहमत किसानों के संबंध में जानकारी देने पर कलेक्टर गोयल ने किसानों को बीमा लाभ की जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिए, ताकि फसल क्षति होने की स्थिति में किसानों को आर्थिक नुकसान न हो। इस दौरान उन्होंने विफल दावा भुगतान की स्थिति एवं कारण की जानकारी भी ली।

कलेक्टर गोयल ने खरीफ 2024 के दौरान वन पट्टाधारी कृषकों के पोर्टल में एंट्री की समीक्षा की। जिनका समय अवधि में प्रीमियम राशि की कटौती कर ली गई थी। उनका इंद्राज संबंधी निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने रायगढ़ जिला हेतु अधिसूचित फसल एवं प्रीमियम पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर कृषि अनिल वर्मा, अपेक्स बैंक नोडल सोढ़ी, डीआरसीएस सी.एस.जायसवाल सहित संबंधित विभागीय अधिकारी एवं समिति सदस्य उपस्थित रहे।

महिला सुरक्षा पर जागरूकता अभियान : सरायपाली स्कूल में महिला सेल ने छात्राओं को किया सशक्त

रायगढ़

एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर आज रायगढ़ पुलिस की महिला सेल ने सरायपाली के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को महिला सुरक्षा और साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में सहायक उप निरीक्षक मंजू मिश्रा ने छात्राओं से सीधे संवाद किया और उन्हें बताया कि नाबालिगों के खिलाफ अपराधों की पहचान कैसे करें और उनसे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं।

मंजू मिश्रा ने छेड़खानी या सोशल मीडिया पर परेशान किए जाने की स्थिति में निडर होकर तुरंत मदद लेने की सलाह दी। उन्होंने "अभिव्यक्ति ऐप" के जरिए महिला अपराधों की शिकायत करने के आसान तरीकों की जानकारी भी दी, जिससे बिना थाने गए ही मदद मिल सकती है। महिला सेल टीम ने आत्मरक्षा के कुछ व्यावहारिक तरीके भी दिखाए, जिससे छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ा। साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग कैसे करें, इस पर भी चर्चा हुई तथा डॉयल 112 के उपयोग की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में स्कूल के शिक्षकगण, छात्राओं के साथ प्रधान आरक्षक मालती पैंकरा, महिला आरक्षक शीला टोप्पो और इंदू लता एक्का भी मौजूद रहीं।

लॉ कालेज एवं लाईब्रेरी में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

रायगढ़

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ द्वारा स्वामी बालकृष्ण पुरी विधि महाविद्यालय रायगढ़ एवं शासकीय जिला ग्रंथालय रायगढ़ में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जहां न्यायाधीश प्रवीण मिश्रा ने विधि के छात्रों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के बारे में अवगत कराया एवं नि:शुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी गई। इस दौरान विधि के क्षेत्र में आगे बढऩे एवं अपराधों की गंभीरता एवं उसके रोकथाम में कारगर भूमिका अदा करने की समझाईश दी गई। नालसा, सालसा की योजनाओं का आम नागरिकों में विधिक जागरूकता के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका, साइबर सुरक्षा तथा महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी गयी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अंकिता मुदलियार द्वारा कानून की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिये विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया।

उक्त विधिक साक्षरता शिविर में जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रवीण मिश्रा उपस्थित रहे तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अंकिता मुदलियार एवं स्वामी बाल कृष्ण पुरी विधि महाविद्यालय के प्राचार्य दिलीप कुमार मिश्रा एवं समस्त स्टॉफगण तथा विधि के छात्र-छात्रायें उपस्थित रहे।

धौराभांठा के दुकानों के निरीक्षण के दौरान व्यापारी के गोदाम से पाए गए थे 100 बोरी अवैध उर्वरक : कलेक्टर गोयल ने लगाया 50 हजार रुपए का जुर्माना

- उर्वरक भंडारण पर उर्वरक नियंत्रण एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के उल्लंघन पर हुई कार्यवाही

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने जिले में अवैध उर्वरक के बिक्री एवं भंडारण पर रोक लगाने हेतु कृषि विभाग को निर्देशित किया है। उक्त निर्देश के परिपालन में कृषि विभाग द्वारा विकासखण्ड तमनार के ग्राम-धौराभांठा के दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। जहां व्यापारी प्रतीक अग्रवाल द्वारा 100 बोरी बिना अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र के उर्वरक भंडारण पाया गया। जिस पर कलेक्टर गोयल ने न्यायालयीन प्रकरण में उर्वरक का भंडारण कर उर्वरक नियंत्रण एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के उल्लंघन पाये जाने पर कार्यवाही करते हुए प्रतीक अग्रवाल पर 50 हजार रुपये का जुर्माने के साथ ही जब्तशुदा उर्वरक के संबंध में संबंधित अधिकारी को थाना में रिपोर्ट कराने हेतु निर्देशित किया है।

कृषि विभाग के उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि विकास अधिकारी नृपराज डनसेना एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी धर्नुजय प्रसाद साहू एवं अनिल भगत द्वारा विकासखण्ड तमनार के ग्राम-धौराभांठा के दुकानों का औचक निरीक्षण के दौरान प्रतीक अग्रवाल आ.विजय अग्रवाल के किराना दुकान एवं गोदाम में डीएपी, यूरिया, एसएसपी, एमओपी सहित अन्य 100 बोरी अवैध उर्वरक पाए गए। प्रतीक अग्रवाल द्वारा अवैध उर्वरक व्यापार को छुपाने का प्रयत्न किया जा रहा था। गोदाम का निरीक्षण कर प्रारंभिक जांच में बिना लाईसेंस के उर्वरक व्यापार करते पाये जाने पर गोदाम को सील बंद किया गया। जांच के दौरान व्यापारी द्वारा 100 बोरी उर्वरक भंडारण के संबंध में कोई संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की गई।

व्यापारी प्रतीक अग्रवाल द्वारा अपने किराना दुकान की गोदाम में आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से अधिक उर्वरक का भंडारण कर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 7 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन किया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अनुसार दण्डनीय है एवं जप्त उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 क 2 के अनुसार निपटान किए जाने योग्य पाया गया। कलेक्टर गोयल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के तहत कार्यवाही करते हुए 50 हजार रुपये जुर्माना अधिरोपित किया है। उप संचालक कृषि, रायगढ़ को उक्त अधिरोपित राशि 15 दिवस के भीतर व्यापारी से प्राप्त कर विभागीय मद में जमा कराने हेतु निर्देशित किया है। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन करने के फलस्वरूप जब्तशुदा 100 बैग उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के प्रावधान के तहत राजसात किया जाता है। इसके अलावा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 7 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन करने के फलस्वरूप आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत जब्तशुदा उर्वरक के संबंध में धारा 10 (क)तथा धारा 11 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अंतर्गत संबंधित थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए गए है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480